पेंशनर सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक (दिनांक 22.12.2017) का कार्यवृत्त।

उपस्थिति : संलग्नक के अनुसार।

2- बैठक का आरम्भ प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा विभिन्न पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों के स्वागत के साथ किया गया।

3- बैठक में चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार रहे -

(1) पेंशनरों की चिकित्सा परिचर्या -

(i) पेंशनरों की सभी बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेश भुगतान की सुविधा प्रदान की जाय। अभी तक बहुत कम बीमारियाँ चिन्हित की गयी हैं। दिन प्रतिदिन इलाज पर होने वाले व्यय के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता प्रति माह दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

(ii) निजी चिकित्सालय में चिकित्सा कराने पर चिकित्सक के परामर्श शुल्क का भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अनुमन्य नहीं किया जाता है जबकि इसका प्रावधान निर्धारित प्रपत्र ए0 व बी0 में है।

(iii) परिचर्या नियमावली में दावा प्रस्तुत करने के लिए नियमावली 2011 के पैरा 18 ख में प्रेसिक्रिप्शन पर्चा के मूल स्थान पर फोटो प्रति रखी जाय, क्योंकि इससे आगे का इलाज बाधित हो रहा है तथा आश्रितों के लिए आय, आयु एवं साथ रहने की शर्त हटाई जाय।

(iv) एस0जी0पी0आई0 में करायी गयी चिकित्सा के बिल वाउचर्स को मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजे जाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाय, क्योंकि एस0जी0पी0जी0आई0 स्वयं रेफरल संस्था है।

(v) चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2016 के अनुच्छेद 10 में कुल धनराशि का 5 प्रतिशत न भुगतान करने की दशा में भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बीजकों के सत्यापन एवं प्रतिहस्ताक्षर की शर्त हटायी जाय।

(vi) मुख्य चिकित्साधिकारियों के यहां बिल बाउचर्स के तकनीकी परीक्षण हेतु अधिकतम 7 दिवस की समय सीमा निर्धारित की जाय, क्योंकि ऐसा न होने से वहाँ मनमाने ढंग से महीनों का विलम्ब होने से प्रभावितों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है।

(vii) निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा कराने पर 1 माह में सूचित करने तथा आपात्दशा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त समाप्त की जाय जैसा कि सरकारी चिकित्सालयों में इलाज कराने पर प्रचलित है, क्योंकि निजी चिकित्सालयों की चिकित्सा की भी प्रतिपूर्ति सरकारी दरों पर ही होती है।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(viii) मुख्य चिकित्साधिकारियों के स्तर पर विभिन्न मदों की दरें बाजार तथा एस0जी0पी0जी0आई0/एम्स की दरों के सापेक्ष नियमिति रूप से पुनरीक्षित किया जाय।

(ix) पेंशनरों की कैशलेस चिकित्सा हेतु स्मार्ट कार्ड अभी तक पूरे नहीं बने हैं तथा सी0जी0एच0एस0 सम्बन्धी व्यवस्था भी नहीं हो पायी है।

समिति की संस्तुति

समिति द्वारा प्रकरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को संदर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

(2) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 31.07.2015 से पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर संगठनों द्वारा कहा गया कि उक्त शासनादेश पूर्व में पेंशनर संगठनों के अनुरोध पर ही निर्गत किया गया था परन्तु पेंशनरों को आ रही कठिनाई के दृष्टिगत उक्त शासनादेश को समाप्त कर पूर्व व्यवस्था फिर से लागू की जाय।

समिति की संस्तुति

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये।

(कार्यवाही : वित्त (लेखा) अनुभाग-1)

(3) समस्त कार्यालयों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दो पंजिकायें (जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों व 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सम्बन्धित हो) रक्षित की जाय।

(i) प्रथम पंजिका जिसमें 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची सहित समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी देयकों से सम्बन्धित सूचनायें व कृत कार्यवाही का तिथिवार विवरण हो यदि विलम्ब हुआ हो तो उसका कारण।

(ii) द्वितीय पंजिका सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के मामलों पर कार्यवाही का तिथिवार विवरण जिसमें दावा प्रस्तुत किये जाने, किसी को सन्दर्भित किये जाने व भुगतान कब हुआ आदि का तिथिवार

--3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्पष्ट विवरण भुगतान में विलम्ब होने पर उसका कारण भी अंकित किया जाये।

(iii) पेंशन पुनरीक्षण में पेंशनरों को सेवा विवरण के लिये बहुत अधिक भाग-दौड़ करनी पड़ती है। सेवा सम्बन्धी सूचनाओं को पी0पी0ओ0 में प्रविष्ट किया जाये। निदेशक, पेंशन द्वारा अवगत कराया गया कि नये पी0पी0ओ0 में सारा विवरण दिया जा रहा है।

<u>समिति की संस्तुति</u>

(i) वित्त विभाग द्वारा जारी उ0प्र0 पेंशन मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को दिशा-निर्देश निर्गत किया जाय।

(कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3)

(ii) निदेशक, पेंशन को निर्देश दिये गये कि पी0पी0ओ0 में प्रविष्ठ होने वाली सूचनाओं की समीक्षा कर, यथावश्यक संशोधन करा लिये जायें।

(कार्यवाही : निदेशक, पेंशन)

(4) <u>सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के उपरान्त पेंशन पुनरीक्षण।</u>

पेंशनर संगठनों द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के शासनादेश के अनुसार जनवरी, 2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का संशोधन कोषागारों द्वारा कर दिया गया है परन्तु दिनांक 18 जुलाई, 2017 के शासनादेश के अनुसार नोशनल वेतन निर्धारण करते हुये पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही की गति संतोषजनक नहीं है।

<u>समिति की संस्तुति</u>

निदेशक, कोषागार द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों के साथ बैठक/सेमिनार आयोजित किया जाय तथा दिनांक 18 जुलाई, 2017 के शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में उनकी शंकाओं का निवारण किया जाय तथा यह निर्देश दिया जाय कि विभाग से दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों के वेतन का नोशनल निर्धारण शीघ्र कराते हुये पेंशन प्रपत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित किये जायें। इस बैठक/सेमिनार में पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय।

(कार्यवाही : निदेशक, पेंशन)

(5) <u>अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों की पारिवारिक पेंशन</u>

अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन हेतु पत्र आश्रितों में उनका नाम जोड़े जाने हेतु कोषागार सॉफ्टवेयर में व्यवस्था करायी जाये।

--4--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

समिति की संस्तुति

समिति द्वारा निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, पेंशन को कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, पेंशन)

(6) अनन्तिम पेंशन

अनन्तिम पेंशन का अधिकतम 03 वर्ष तक भुगतान के उपरान्त अन्तिम पेंशन दिये जाने का बिन्दु समिति के समक्ष उठाया गया। चर्चा के दौरान यह तथ्य उभरकर आया कि विभागों द्वारा विलम्ब के कारण लम्बे समय तक अनन्तिम पेंशन के भुगतान की स्थिति बनती है।

समिति की संस्तुति

निदेशक, पेंशन को सभी विभागों को इस सम्बन्ध में पत्र भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : निदेशक, पेंशन/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3)

(7) कोषागारों के परिसर में पेंशनर कक्ष का निर्माण

पेंशनर संगठनों द्वारा कहा गया कि हालांकि अधिकांश कोषागारों में पेंशनर कक्ष की व्यवस्था है परन्तु वहां पेंशनरों के बैठने, कूलर, पीने का पानी आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है।

समिति की संस्तुति

समिति को अवगत कराया गया कि इस विषय पर वित्त विभाग द्वारा पूर्व में ही समस्त कोषागारों को निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि पूर्व निर्गत आदेशों के क्रम में पुनः समस्त कोषागारों में पेंशनर कक्ष की समुचित व्यवस्था कराये जाने हेतु पत्र निर्गत कर दिया जाय।

(कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/निदेशक, कोषागार)

(8) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के वेतन से की गयी कटौतियाँ जिन्हें निदेशक, पेंशन द्वारा आवंटित डी0सी0आई0 खातों में जमा किया गया है, को सम्बन्धित कार्मिकों के प्रान में यथाशीघ्र अन्तरित किये जाने का बिन्दु पेंशनर संगठनों द्वारा उठाया गया।

समिति की संस्तुति

समिति द्वारा निदेशक, पेंशन को निर्देश दिये गये कि डी0सी0आई0 खातों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पड़ी हुई अवशेष धनराशि को आगामी 03 माह में सम्बन्धित कार्मिकों के प्रान खाते में अन्तरित की जाय।

(कार्यवाही : निदेशक, पेंशन)

(9) <u>पेंशनर दिवस</u>

प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर को प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पेंशनर दिवस आयोजित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। प्रायः अधिकांश जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा पेंशनर दिवस के आयोजनों में उपस्थित नहीं होते हैं जिससे पेंशनर दिवस के आयोजन में वांछित प्रभावोत्पादकता का अभाव रहता है। जिलाधिकारी के उपस्थित न होने के कारण सम्बन्धित जनपदों के कार्यालयाध्यक्ष भी पेंशनर दिवस के आयोजन को गम्भीरता से नहीं लेते हैं।

<u>समिति की संस्तुति</u>

समिति द्वारा पेंशनर दिवस के आयोजन को गम्भीरता से लिये जाने सम्बन्धी आदेश पुनः समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3)

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-06/2018/सा-3-158/दस-2018-944/टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, वित्त/गृह/न्याय/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा के निजी सचिव।
(2) श्री शिव प्रकाश (से0नि0) विशेष सचिव एवं निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(7) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का समुचित प्रसार एवं प्रचार करा दें।

(8) संयुक्त पेंशनर्स समन्य समिति, उ0प्र0, 51 मानस विहार, कुर्मान्चल नगर, लखनऊ।

(9) गर्वनमेण्ट पेंशनर्स वेलफयेर आर्गेनाइजेशन, उ0प्र0, एच0आई0जी0, 80/23 रूचि खण्ड-1, शारदा नगर, लखनऊ।

(10) सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिऐशन, उ0प्र0 19/76, इंदिरा नगर, लखनऊ।

(11) उ0प्र0 राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, बी-1/81 सेक्टर 'जी', अलीगंज, लखनऊ।

(12) पी0सी0एस0 (रिटायर्ड) आफिसर्स एसासियेशन, उ0प्र0, 32-बी, अग्निपथ, एल0डी0ए0 कालोनी, 07 सप्रू मार्ग, लखनऊ।

(13) उ0प्र0 सचिवालय, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, 54 कैण्ट रोड़ उदयगंज, लखनऊ।

(14) उ0प्र0 पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान, 19/47, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(15) सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ, उ0प्र0 राजभवन, 630, अलंकार सिनेमा रोड़, लखनऊ।

(16) उत्तर प्रदेशीय सेवानिवृत्त, प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद, उ0प्र0, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक भवन, रिसालदार पार्क, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।